

प्रेषक,

अपर निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
बागेश्वर/पिथौरागढ़/अल्मोडा/नैनीताल/उधमसिंहनगर/चम्पावत/चमोली/रूद्रप्रयाग/टिहरी
गढ़वाल/उत्तरकाशी/पौड़ी गढ़वाल/देहरादून/हरिद्वार।

संख्या: 230

/मु0ख0/42/भू0खनि0ई0/DMF/2015-16,

दिनांक 27 अप्रैल, 2018

विषय:

जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (District Mineral Foundation Trust) की निधि के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना अधिसूचना संख्या 1329/VII-1/2017/08 ख/16 दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 जिसके द्वारा जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (District Mineral Foundation Trust) एवं अधिसूचना संख्या 1621/VII-1/2017/8 ख/16 दिनांक 17 नवम्बर, 2017 द्वारा जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (District Mineral Foundation Trust) नियमावली -2017 प्रख्यापित की गयी है का कृपया तदर्थ प्रस्ताव करके का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (District Mineral Foundation Trust) नियमावली -2017 प्रख्यापित से पूर्व आभ्युक्त विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय जाप संख्या 1585/VII-I/80-ख/2016 दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 एवं कार्यालय जाप संख्या 1689/VII-I/80-ख/2016, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के क्रम में जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास के विरुद्ध जमा अंशदान विभागीय लेखाशीर्षक 0853 अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग, 102-खनिज रायल्टी शुल्क एवं स्वत्व, 01- खनिज रियायती शुल्क एवं स्वत्व शुल्क में जमा किया गया है।

अतः आप से अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद से सम्बन्धित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (District Mineral Foundation Trust) नियमावली -2017 के प्रख्यापन से पूर्व जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास के विरुद्ध विभागीय लेखाशीर्षक 0853 अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग, 102-खनिज रायल्टी शुल्क एवं स्वत्व, 01- खनिज रियायती शुल्क एवं स्वत्व शुल्क में जमा किये गये अंशदान की सूचना मय साक्ष्य के तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय



(एस0एल0 पैट्रिक)

अपर निदेशक

०/९

संख्या: 230

/मु0ख0/42/भू0खनि0ई0/DMF/2015-16, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:

समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(एस0एल0 पैट्रिक)

अपर निदेशक

०/९